<u>महत्वपूर्ण/ई–मेल</u>
<u>संख्या–2576/आठ–3–23–31/2021</u>

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़–पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुर्जा,
बागपत–खेकड़ा एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2023**

विषयः– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश संख्या–75 के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–2390(1)/आठ–3–23–31/2021 दिनांक 29.09.2023 एवं पत्र संख्या–2390(2)/आठ–3–23–31/2021 दिनांक 05.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–भा0स0–224(1)/81–7–2023–09 (रिट)/2016 टी0सी0–3 दिनांक 17.10.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27.07.2023 एवं 06.10.2023 द्वारा एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन पर वायु गुणवत्ता प्रबन्धन के लिए आयोग अधिनियम, 2021 की धारा–12 के तहत दिशा निर्देश क्रमशः संख्या–75 एवं 77 निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–भा0स0–166/81–7–2023–09 (रिट)/2016 टी0सी0–3 दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से उक्त के अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ई–मेल soenvups@rediffmail.com) एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई–मेल ms@uppcb.in) को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र दिनांक 17.10.2023 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

(क्रमशः : 2)

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 17.10.2023 की **प्रति संलग्न** कर इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावी अनुश्रवण करते हुए सम्बन्धित अभिकरणों से प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त कर समेकित आख्या/कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ई–मेल soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई–मेल ms@uppcb.in) तथा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 (ई–मेल awasanubhag3@gmail.com) को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

/

(अरूण कुमार)

अनु सचिव।

<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या–भा0स0–224(1)/81–7–2023–09(रिट)/2016 टी0सी0–3</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/गृह/ऊर्जा/कृषि/
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन/खाद्य एवं रसद/
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. चेयरमैन,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और
विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी।

5. प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम
लि0, मेरठ।

6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा पावर कम्पनी लि0,
ग्रेटर नोएडा।

7. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

8. निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
विकास अभिकरण, लखनऊ।

9. मण्डलायुक्त,
मेरठ, सहारनपुर।

10. जिलाधिकारी,
गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर,
बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली
एवं मुजफ्फरनगर।

11. नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ एवं गाजियाबाद।

12. निदेशक,
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

13. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली एवं
मुजफ्फरनगर।

14. सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2023

विषय–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी रिवाइज्ड ग्रेडेड एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश संख्या–75 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27.07.2023 एवं 06.10.2023 द्वारा एन0सी0आर0 और आस–पास के क्षेत्रों में रिवाईज्ड ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन पर वायु गुणवत्ता प्रबन्धन के लिए आयोग अधिनियम, 2021 की धारा–12 के तहत दिशा निर्देश क्रमशः संख्या–75 एवं 77 निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–भा0स0–166/81–7– 2023–09(रिट)/ 2016 टी0सी0–3, दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से उक्त के अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। रिवाईज्ड ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) में निहित, नई दिल्ली की 72 घंटे (तीन दिवस) की पूर्वानुमानित वायु गुणता सूचकांक के स्तर के आधार पर निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश एतद्द्वारा दिये जाते हैं :

1) GRAP Stage I-Poor Air Quality

प्रभावी होने का मानदण्ड (Delhi AQI Ranging between 201-300) एवं प्रतिबन्ध :

1. निर्माण एवं विध्वंस (सी0 एण्ड डी0) गतिविधियों एवं ध्वनि पर्यावरण प्रबन्धन पर दिशा निर्देशों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
2. 500 वर्गमीटर या उससे अधिक ऐसी परियोजनाओं जो सम्बन्धित राज्य के डस्ट ऐप वेब पोर्टल पर धूल शमन उपायों के दूरस्थ निगरानी के लिये पंजीकृत नहीं है, के सम्बन्ध में सी0 एण्ड डी0 गतिविधियों को प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश संख्या 11 से 18 दिनांक 11.06.2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. समर्पित डम्प स्थलों से नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम0एस0डब्लू0), निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी0 एण्ड डी0) और परिसंकटमय अपशिष्ट का नियमित उठान सुनिश्चित करते हुये अवैध रूप से खुले भूमि क्षेत्रों में डम्प न किया जाय।
4. सड़कों पर समय – समय पर मशीनीकृत सफाई एवं छिड़काव कराया जाय और निर्दिष्ट स्थलों/लैण्ड फिल में एकत्र धूल का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित किया जाय।
5. सी0 एण्ड डी0 सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया जाये तथा
6. सी0 एण्ड डी0 साइटों पर एन्टी स्मॉग गन के उपयोंगों के लिये निर्देशों एवं मानदण्डों को सख्ती से लागू किया जाय।
7. सड़क निर्माण/रखरखाव/मरम्मत परियोजनाओं में एन्टी स्मॉग गन/पानी छिड़काव और धूल दमन उपायों का उपयोग तेज किया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि लैण्डफिल साइटों एवं कचरा स्थलों पर जलने की कोई घटना न हो।
8. बायोमॉस और नगर पालिका ठोस कचरे को खुले में जलाने पर सख्ती से प्रतिबन्ध लागू किया जाय तथा ओ0ए0 संख्या–21/2014 में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 04.12.2014 और दिनांक 28.04.2015 के अनुसार उल्लंघन पर अधिकतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाय।

9. भारी यातायात और भीड़–भाड़ वाले स्थलों, चौराहों वाले सभी चिन्हित गलियारों पर सुचारू यातायात प्रवाह के लिये यातायात पुलिस तैनात करें साथ ही वाहनों के पीयूसी मापदण्डों की कड़ी निगरानी और प्रवर्तन किया जाय। दृश्यमान उत्सर्जन के प्रति कोई सहनशीलता न की जाये। प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जाय/या अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया जाय। साथ ही आवश्यकतानुसार पूर्वी और पश्चिमी पैरीफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से गैर नियत ट्रक यातायात के डायवर्जन पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाय।

10. औद्योगिक इकाइयों/ईंट भटठों और हॉट मिक्स संयंत्रों तथा थर्मल पावर प्लांटों आदि द्वारा सभी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों एवं उत्सर्जन मानदण्डों को सख्ती से लागू किया जाये साथ ही अनुमोदित ईंधन का उपयोग कराया जाये तथा अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत दण्डात्मक/कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

11. पटाखों पर प्रतिबन्ध आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों/न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का सख्ती से अनुपलान सुनिश्चित कराया जाय।

12. औद्योगिक और गैर विकास क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठान और निपटान सुनिश्चित किया जाय।

13. डिस्कॉम द्वारा बिजली की आपूर्ति अधिक से अधिक की जाये तथा बिजली कटौती को न्यूनतम किया जाय।

14. होटल/रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तन्दूरों में कोयला/जलाऊ लकड़ी को प्रतिबन्धित करते हुये केवल बिजली/स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

15. प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये 311 ऐप, समीर ऐप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शिकायतों के निवारण के लिये त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

16. कार्यालयों को सड़क यातायात कम करने के लिये कर्मचारियों हेतु एकीकृत आगमन शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।

17. निम्नवत् नागरिक चार्टर का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जाय :

- अपने वाहनों के इंजनों को ठीक से व्यवस्थित रखें।
- वाहनों में उचित टायर दबाव बनाए रखें।
- अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र अद्यतन रखें।
- अपने वाहन को बेकार में न चलायें, लाल बत्ती पर इंजन भी बंद कर दें।
- वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें।
- खुले स्थानों पर कूड़ा–करकट न फैलाएं/निस्तारित न करें।
- 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों को रिपोर्ट करें।
- अधिक पेड़ लगायें।
- त्योहारों को पर्यावरण–अनुकूल तरीके से मनायें – पटाखों से बचें।
- 10/15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन न चलायें/चलवायें।

2) Stage-II Very Poor Air Quality

प्रभावी होने का मानदण्ड (Delhi AQI Ranging between 301-400) एवं प्रतिबन्ध :

1. चिन्हित सड़कों की दैनिक आधार पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव कराया जाय।

2. विशेष रूप से हॉटस्पॉट, भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क की धूल को रोकने के लिए और निर्दिष्ट स्थलों पर एकत्रित धूल के उचित निपटान के लिए सड़कों पर धूल अवरोधकों (कम से कम हर दूसरे दिन, गैर–पीक घंटों के दौरान) के उपयोग के साथ–साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

3. लैंडफिल सी एंड डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज किया जाय।

4. एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपाय तेज/उपचारात्मक किया जाय।

5. जनरेटर सेट के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय।

6. दिशा–निर्देश संख्या 73 दिनांक 02.06.2023 के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी सेट के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची :

क्षमता सीमा	उपयोग के लिये विनियम
एलपीजी / प्राकृतिक गैस / बायो–गैस / प्रोपेन / ब्यूटेन पर चलने वाले सभी पावर जेनसेट	कोई प्रतिबंध नहीं
MoEFCC अधिसूचना में निर्धारित मानकों के अनुसार 800 किलोवाट क्षमता तक के नए बिजली उत्पादन सेट क्यू–15017 / 05 / 2012–सीपीडब्लू दिनांक 03.11.2022	कोई प्रतिबंध नहीं
पोर्टेबल डीजी सेट (19 किलोवाट से कम)	अनुमति नहीं परन्तु निर्धारित इमेरजन्सी सेवाओं हेतु अनुमन्य।
19 किलोवाट से 125 किलोवाट से कम दोहरे ईंधन मोड पर चल रहा है।	गैस सप्लाई के साथ कोई प्रतिबन्ध नहीं तथा गैस सप्लाई के न होने की स्थिति में एक दिन में अधिकतम 2 घंटे तक चलने की अनुमति।
125 किलोवाट से 800 किलोवाट से कम ड्युअल फ्यूल मोड पर चल रहा है अथवा ईसीडीएस के साथ रेट्रो–फिटेड	कोई प्रतिबंध नहीं
800 किलोवाट और उससे अधिक किसी भी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण / प्रणाली के साथ निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के अधीन।	कोई प्रतिबंध नहीं

7. यातायात संचालन को सुगम बनायें और यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए चौराहों / यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त यातायात कर्मियों को तैनात किया जाय।

8. लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए "क्या करें और क्या न करें" के बारे में समाचार पत्रों / टीवी / रेडियो में परामर्शी निर्गत की जाय।

9. निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाय।

10. अतिरिक्त बेड़ा शामिल करके और सेवा की आवृत्ति बढ़ाकर सीएनजी / इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाय।

11. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराया जाय, ताकि बायोमास / ठोस अपशिष्ट न जलाया जा सके।

12. नागरिक चार्टरः–

- लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुनें, भले ही थोड़ा लंबा हो।
- अपने ऑटोमोबाइल में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फिल्टर बदलें।
- अक्टूबर से जनवरी के महीनों के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचें।
- ठोस अपशिष्ट और बायोमास को खुले में जलाने से बचें।

3) Stage-III Severe

प्रभावी होने का मानदण्ड (Delhi AQI Ranging between 401-450) एवं प्रतिबन्ध :

1. सड़कों की मशीनीकृत/वैक्यूम–आधारित सफाई की आवृत्ति को और तेज किया जाय।

2. हॉटस्पॉट, भारी यातायात गलियारों सहित सड़कों और रास्ते के अधिकार पर व्यस्ततम यातायात घंटों से पहले, धूल दमन के साथ–साथ दैनिक पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाय और निर्दिष्ट स्थलों/लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाय।

3. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और तेज किया जाय। ऑफ–पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक–पृथक दरें लागू की जाय।

4. निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियाँ :

(i) निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबन्ध लागू किया जाय :

(क) रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनायें।

(ख) मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनायें।

(ग) हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनायें।

(ङ) अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें।

(च) रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन आदि।

(छ) स्वच्छता परियोजनायें जैसे सीवेज उपचार संयंत्र और जल आपूर्ति परियोजनाएं आदि।

(ज) परियोजनाओं की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए विशिष्ट और अनुपूरक सहायक गतिविधियाँ।

नोट : उपरोक्त छूट सी एण्ड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल रोकथाम नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के अधीन होगी, जिसमें इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी आयोग के निर्देशों का अनुपालन भी शामिल है।

(ii) उपरोक्त (i) के तहत छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा, इस अवधि के दौरान धूल पैदा करने/वायु प्रदूषण के कारण सी एण्ड डी गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंधित गतिविधियों में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी :

(ए) बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।

(बी) फैब्रिकेशन और वेल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य।

(सी) तोड़फोड़ का कार्य।

(डी) परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग।

(ई) कच्चे माल का मैन्युअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण, जिसमें फ्लाई ऐश भी शामिल है।

(एफ) कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही।

(जी) बैचिंग प्लांट का संचालन।

(एच) ओपन ट्रेंच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वॉटरलाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने का कार्य।

(आई) टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करना।

(जे) पीसने की गतिविधियाँ।

(के) काम एकत्रित करना।

(एल) वाटर प्रूफिंग कार्य।

(एम) पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग आदि कार्य।

(एन) सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ/रास्ते और सेंट्रल वर्ज आदि को पक्का करना शामिल है।

(iii) एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए, गैर-प्रदूषणकारी/गैर-धूल पैदा करने वाली गतिविधियां जैसे प्लंबिंग कार्य, विद्युत कार्य, बढ़ईगीरी से संबंधित कार्य और आंतरिक साज-सज्जा/परिष्करण/सजावट कार्य (पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्यों आदि को छोड़कर) जारी रखी जा सकेगी।

5. स्टोन क्रशरों का संचालन बंद किया जाय।

6. एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद किया जाय।

7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस एलएल पेट्रोल और बीएस एलवी डीजल एलएमवीएस (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लागू कराया जाय।

8. पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय लिया जाय।

9. नागरिक चार्टरः—

- छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें।
- स्वच्छ आवागमन चुनें। काम पर जाने के लिए सवारी साझा करें या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- जिन लोगों को घर से काम करने की अनुमति दी जाती है, वे घर से काम कर सकते हैं।
- हीटिंग के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग न किया जाय।
- व्यक्तिगत घर के मालिक सुरक्षा कर्मचारियों को बिजली के हीटर (सर्दियों के दौरान) प्रदान कर सकते हैं।
- कामों को संयोजित करें और यात्राएँ कम करें।

4) Stage-IV Severe + Air Quality

प्रभावी होने का मानदण्ड (Delhi AQI >450) एवं प्रतिबन्ध :

1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)। अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही/तैयार कर ली जाय।

2. आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों वाहनों को छोड़कर, ईवी/ सीएनजी/बीएस–VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवीएस को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाय।

3. राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी0 एंड डी0 गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाय।

4. कक्षा VI & IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर विचार किया जाय।

5. सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर विचार किया जाय।

6. कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों को बंद करने और गैर–आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम–विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार किया जाय।

7. नागरिक चार्टर :

- बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो घर के अंदर रहें।

अतः मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 11-10-2023 19:07:22
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दिशा निर्देश संख्या–75 एवं 77 के अनुपालन की समेकित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।